UPMB010009342024

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0), महोबा।</u>

सत्र वाद संख्या—271 / 2024

सरकार बनाम श्रीमती जरीना आदि,

अपराध संख्या—57 / 2023

धारा—498ए,304बी भा0 दं0 सं0 व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना—खरेला, जिला महोबा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 250(2)बी.एन.एस.एस.</u>

<u>दिनांक—30.11.2024</u>

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्तगण **इसराइल व भूरी** के प्रार्थना पत्र 9क व अभियुक्तगण **रफीक व गुड्डन** के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र संख्या 13क पर सुना गया। अभियोजन / वादी मुकदमा को भी सुना गया।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 250(2)बी.एन.एस.एस. कागज 9क व 13क का निस्तारण—</u>

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **इसराइल व भूरी** द्वारा प्रार्थना पत्र 9क मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रार्थीगण का उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण का परिवार व सादिक पुत्र अलादीन व पारिवारिक बटवारा काफी वर्ष पूर्व हो गया था। प्रार्थी इस्माइल के दो भाई रफीक व सादिक तथा तीनों भाई अलग—अलग रहते हैं। प्रार्थीगण का निवास खाना पीना व व्यापार सब अलग—अलग है तथा मोहम्मद राजा व अलादीन के पारिवारिक जीवन से कोई मतलब सरोकार नहीं है। मात्र वादी मुकदमा के दामाद के चाचा व चाची होने की वजह से प्रार्थीगण को झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण के साथ मृतका का परिवार कभी नहीं रहा और प्रार्थीगण ने मृतका या उसके परिवार से कभी कोई किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की। प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 द0 प्रं0 सं0 के बयानों में प्रार्थीगण की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गई है। वादी द्वारा प्रार्थीगण के सम्बन्ध में दहेज मांगने व क्रूरता करने से सम्बन्धित आरोप लगाये गये हैं वह सब सामान्य प्रकृति के हैं। प्रार्थीगण उक्त दहेज के सामान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं है। वादी मुकदमा व उसकी पत्नी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध जो भी आरोप लगाये गये हें वह मात्र प्रार्थीगण के विरूद्ध बदले की भावना से लगाये गये हैं। प्रार्थीगण रिलेटिव की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रार्थीगण मोहम्मद राजा की शादी के काफी वर्ष पूर्व से ही अलग रहे हैं। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी विश्वसनीय व सारवान साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **रफीक व गुड्डन** द्वारा प्रार्थना पत्र 13क मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रार्थीगण का उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 द0 प्रं0 सं0 के

बयानों में प्रार्थीगण की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गई। मात्र वादी मुकदमा के दामाद के चाचा व चाची होने की वजह से प्रार्थीगण को झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण के साथ मृतका व मृतका का परिवार कभी नहीं रहे और प्रार्थीगण ने मृतका या उसके परिवार से कभी कोई किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की। प्रार्थीगण का परिवार व सादिक पुत्र अलादीनका परिवारिक बटवारा काफी वर्ष पूर्व हो गया था। प्रार्थी रफीक के दो भाई इस्माइल व सादिक हैं तथा तीनों भाई अलग–अलग रहते हैं। प्रार्थीगण का निवास खाना पीना व व्यापार सब अलग–अलग है तथा मोहम्मद रजा व अलादीन के परिवारिक जीवन से कोई मतलब सरोकार नहीं है। वादी द्वारा प्रार्थीगण के सम्बन्ध में दहेज मांगने व क्रूरता करने से सम्बन्धित आरोप लगाये गये हैं वह सब सामान्य प्रकृति के हें। प्रार्थीगण उक्त दहेज के सामान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं हैं। वादी मुकदमा व उसकी पत्नी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध जो भी आरोप लगाये गये हैं वह मात्र प्रार्थीगण के विरूद्ध बदले की भावना से लगाये गये हैं। प्रार्थीगण रिलेटिव की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रार्थीगण मोहम्मद राजा की शादी के काफी वर्ष पूर्व से ही अलग रह रहे हैं। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी विश्वसनीय व सारवान साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। याचना की गयी कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप से उन्मोचित करने की कृपा की जाए।

प्रार्थिया/ वादिया श्रीमती यासमीन पत्नी सत्तार ने **आपत्ति कागज संख्या 17ख व 19ख** मय शपथ पत्र द्वारा अभियुक्तगण इसराइल, श्रीमती भूरी, रफीक व श्रीमती गुड्डन के सम्बन्ध में कहा है कि अभियुक्तगण इसराइल, श्रीमती भूरी, रफीक व श्रीमती गुड्डन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त 250(2) बी.एन.एस.एस. प्रार्थना पत्र कतई पोषणीय नहीं है तथा इन पर लगाये गये आरोप सम्पूर्ण विवेचना उपरोक्त सत्य व सही पाये गये है इसलिये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है जिसे मात्र परीक्षण से ही सत्य अथवा असत्य पाया जायेगा। इसलिये इस स्तर पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अभियुक्तगण पर लगाये गये तमाम आरोपों में से एक महत्वपूर्ण आरोप धारा 304बी भा0 दं0 सं0 था जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शादी दिनांक 13.08.2020 को मृतका एवं मुख्य अभियुक्त मोहम्मद राजा की हुई थी तथा दिनांक 27.03.2023 को मृतका श्रीमती बलीगा को समस्त मुल्जिमान ने एकराय होकर रात्रि 11:00 बजे जिन्दा जला दिया गया था। इसके बाद इलाज होते–होते कानपुर चिकित्सालय में दिनांक 20.04.2023 को मृतका की मृत्यु हो गई। इस प्रकार शादी के मात्र ढाई साल में दहेज की लालच में अभियुक्तगण ने प्रार्थिया की पुत्री को अपने घर (मृतका का ससुराल) में जलाकर मार डाला, इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि धारा 304बी भा0 दं0 ंस0 जैसा गंभीर अपराध अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया है। यह कि अभियुक्तगण प्रार्थिया की स्व0 पुत्री श्रीमती बलीगा के सगे चचिया ससुर एवं सास है, तथा स्पष्ट करना है कि अभी भी श्रीमती बलीगा मृतका के ससुर व उनके भाईयों क्रमशः रफीक व इसराइल का बटवारा नहीं हुआ है एक साथ एक घर में निवास करते हैं तथा

चूल्हा भी एक ही है। यह कि अभियुक्तगण अपनी विशिष्ट भूमिका ना होने का बचाव कर रहे है जो कि गलत है यहॉ मेरी पुत्री को जिन्दा जलाकर मार डालने में इन अभियुक्तगण का पूरा–पूरा सहयोगी रोल है तथा मो0 राजा आदि को उकसा भी रहे थे कि एक बार जला के मार दो फिर कहीं राजा की शादी करेगें फिर तगडा दान दहेज मिलेगा अर्थात इस घटना में पूरा–पूरा रोल इन अभियुक्तगण का भी है। आश्चर्य इस बात पर है कि अभियुक्तगण अपने आवेदन की धारा 9 में आरोपों को सामान्य प्रकृति का बता रहे हैं, मेरी लडकी को शादी के मात्र ढाई साल बाद जिन्दा जलाकर मार दिया और आरोप सामान्य प्रकृति का बता रहे है, इस तरह की टिप्पणी अभियुक्तगण द्वारा किया जाना विधि विरूद्ध तो है ही, निन्दनीय भी है। यह कि प्रश्नगत अभियुक्तगण तथा सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध परीक्षण हेतु तथा दण्डित कराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य विवेचना में पाया गया है। इसलिये इस स्तर पर अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2024 खारिज किये जाने की याचना की है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा की पुत्री को शादी के लगभग ढाई साल बाद दहेज की लालच में जलाकर मार डाला है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 27.03.2023 की है। केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के आधार पर संज्ञान दिनांक 02.01.2024 को लिया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में बी0एन0एस0एस0 के प्राविधान आकर्षित न होकर सी0आर0पी0सी0 के प्राविधान लागू होगें। अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 250(2) बी0एन0एस0एस0 में दिया गया है। यह तकनीकी त्रुटि के अन्तर्गत है। अतः बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्रों कागज संख्या 9क व 13क अन्तर्गत धारा 227 दं0 प्रं0 सं0 के तहत मानते हुये उनका निस्तारण किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा श्रीमती यासमीन खातून पत्नी सत्तार निवासिनी ग्राम वीरपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना खरेला जिला महोबा में इस आशय की तहरीर दी कि उसने अपनी पुत्री उम्मे वलीगा की शादी दिनांक 13.08.2020 को मोहम्मद राजा पुत्र सादिक निवासी ग्राम खरेला, थाना खरेला जिला महोबा के साथ सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर ससम्मान विदा किया था, किन्तु शादी के बाद से ही उसकी पुत्री को ससुरालीजन पति मोहम्मद राजा, सास, जरीना व ससुर सादिक तथा हसन पुत्र सादिक व चचिया सास, गुड्डन, रफीक चचिया ससुर व भूरी चचिया सास पत्नी इसराइल, चचिया ससुर इसराइल पुत्र अलादीन उक्त सभी लोग मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे थे तथा उसकी पुत्री को प्रताडित कर रहे थे, जिसकी सूचना उसकी पुत्री उम्मे वलीगा फोन

पर दिया करती थी। वह अपनी पुत्री को समझाया करती थी कि कुछ दिन में सब ठीक हो जायेगा। उसकी पुत्री के अतिरिक्त दहेज में बुलेरो कार खरीदने के लिये दस लाख रूपये की मांग कर रहे थे, जिसमें से उसने इधर–उधर से मिलाकर छः लाख रूपये दिया। पूरा पैसा न देने के कारण उक्त ससुरालीजनों से उसकी पुत्री उम्मे वलीगा को दिनांक 27.03.2023 की रात्रि लगभग 11 बजे मारापीटा, उसके बाद सभी ससुरालीजनों ने मिलकर जला दिया उसकी चीख सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गये तब उन लोगों को हास्पिटल लेकर भागना पड़ा। जिसकी सूचना चचिया सास भूरी ने दी प्रार्थिनी को पीड़िता के ससुरालीजन द्वारा की गयी तब उसने अपने पुत्र व पति के साथ ग्वालियार हास्पिटल पहुॅची वहॉ पर उसकी पुत्री बेहोशी की हालत में थी जिसकी सूचना वह थाना खरेला देने गयी तो थानेदार ने उसकी रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया और बोले कि जाओ अपनी पुत्री का ठीक से इलाज कराओं, उसके बाद उसको रिफर कराकर अपने यहॉ कानपुर ले आयी और न्यू लखनपुर हास्पिटल कानपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया, जहॉ पर इलाज के दौरान दिनांक 20.04.2023 को मृत्यु हो गयी।

प्रकरण में केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्रं0 सं0 व मजीद बयान में अभियुक्तगण 1. राजा मोहम्मद 2. श्रीमती जरीना 3. सादिक 4. हसन 5. श्रीमती गुड्डन 6. रफीक 7. श्रीमती भूरी 8. इसराइल का नाम लेते हुये दस लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करना व 6 लाख रूपये देने पर संतुष्ट न होने पर पेट्रोल डालकर उसकी पुत्री श्रीमती बलीगा की दहेज हत्या कारित की व घटना की सूचना चचिया सास भूरी द्वारा देना कहा है।

मृतका के पिता सत्तार पुत्र बुद्धु ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्रं0 सं0 में अभियोजन कथानक का पूरी तरह समर्थन किया है।

प्रकरण में वादिया मुकदमा की पुत्री की शादी दिनांक 13.08.2020 के सात वर्ष के अन्दर जलने के फलस्वरूप आप्रकृतिक मृत्यु दिनांक 20.04.2023 को हुयी है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण केवल दहेज मांग से सम्बन्धित न होने दहेज मृत्यु से सम्बन्धित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण/ प्रार्थीगण इसराइल, श्रीमती भूरी, रफीक व श्रीमती गुड्डन मृतका के चचिया सास व चचिया ससुर हैं। उपरोक्त **अभियुक्तगण/ प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रकरण में मृतका के सास, ससुर व पति के परिवार से अलग होना कथित करते हुये डिस्चार्ज (उन्मोचन) की प्रार्थना की किन्तु उल्लेखनीय है कि केस डायरी में उपरोक्त अभियुक्तगण का पता मृतका के पति व ससुरालीजन का घर का पता एक ही दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण ने अपने जमानतनामें में भी यही पता दर्शित किया है जो केस डायरी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने राशन कार्ड की प्रति लगाकर अपना अन्य पता बताया है जो विस्तृत साक्ष्य का विषय है। मृतका की मॉ व पिता ने अपने अन्तर्गत धारा 161 के बयान में घटना का पूर्ण समर्थन किया है।**

आरोप विरचित किये जाने के समय न्यायालय को केवल प्रथम दृष्ट्या ही मामला देखना है, यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हो सकती है अथवा नहीं। केस डायरी में उपलब्ध सामग्री एवं गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार है।

उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पथी (2005)1 एस.सी.सी. 568 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये अवधारित किया गया आरोप विरचित किये जाते समय विस्तृत जॉच की अनुमति नहीं है। आरोप के समय बचाव पक्ष का साक्ष्य नहीं देखा जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.आइ.आर. 2009 एस.सी. 887 पलविन्दर बनाम बलविन्दर सिंह के मामले में मत व्यक्त किया कि आरोप विरचन के समय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता बहुत ही सीमित है। इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन अनावश्यक है। मात्र मजबूत संदेह के आधार पर ही आरोप विरचित किया जाना न्यायसंभव है।

विधि व्यवस्था तरूणाजीत तेजपाल बनाम स्टेट ऑफ गोवा और अन्य (2020) 17 एस.सी.सी. 556 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य पर यदि प्रथमदृष्ट्या मामला स्थापित है तो आरोप निर्मित करना न्यायोचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी मत व्यक्त किया, अभियुक्त के ओर उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर कहे गये कथन/ साक्ष्य बचाव साक्ष्य के अन्तर्गत है जिसे विचारण के स्तर पर देखा जाना उचित होगा।

प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत **विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरूमीत सिंह 2014 (86) ए.सी.सी. 952 माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत दिया है** कि पति के नाते रिश्तेदारों के अन्तर्गत **चाची का भाई शामिल नहीं है।**

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था कांशराज बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एस.सी.सी. 2007 में** यह मत व्यक्त किया गया है कि दहेज मृत्यु के मामले में मृतका के समस्त ससुरालीजनों को मामले में फसाने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। अगर इसे हतोत्साहित नहीं किया गया तो वास्तविक दोषियों के विरूद्ध अभियोजन कथानक को प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी आरोप के स्तर पर है। प्रकरण में अभियोजन के साक्षीगणों ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्रं0 सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्तगण ने अलग रहने के आधार पर उन्मोचन की याचना की है जबकि केस डायरी व जमानतनामा में समस्त अभियुक्तगण का एक पता दर्शित है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार अभियुक्तगण **1. राजा मोहम्मद 2. श्रीमती जरीना 3. सादिक 4. हसन 5. श्रीमती गुड्डन 6. रफीक 7. श्रीमती भूरी 8. इसराइल** के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने का व धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302

भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 250(2)बी.एन.एस.एस./ 227 दं0 प्रं0 सं0 कागज 9क व 13क निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 250(2)बी.एन.एस.एस. / 227 दं0 प्रं0 सं0 कागज 9क व 13क निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण **1. राजा मोहम्मद 2. श्रीमती जरीना 3. सादिक 4. हसन 5. श्रीमती गुड्डन 6. रफीक 7. श्रीमती भूरी 8. इसराइल** के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित हेतु पत्रावली दिनांक 10.12.2024 को पेश हो। अभियुक्तगण उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगें।

<u>दिनांकः 30.11.2024</u>

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ0टी0सी0), महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2024.11.30 16:22:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court